पत्रांक–09 / न०वि०मा०प्ला०(बैठक)–24 / 2024 ....7013.... न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:–

प्रभात भूषण,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक–09/07/26

विषय :– पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयोंपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4583 दिनांक–23.04.2026 के आलोक में अधिसूचना संख्या–4655 दिनांक–24.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पाटलिपुत्र विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र में पटना मास्टर प्लान, 2031 के अनुरूप जोनल प्लान तैयार करने के लिए उक्त क्षेत्र में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9(7) सहपठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियामवली, 2014 के नियम–9(8) के तहत भूमि के क्रय–विक्रय, हस्तांतरण एवं विकास तथा भवनों के निर्माण से संबंधित सभी कार्यों पर दिनांक–30.03.2027 तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

2. विभाग के संज्ञान में आया है कि उक्त प्रतिबंध के बावजूद पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय स्थानों पर निर्माण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। सुलभ प्रसंग हेतु स्थलीय छायाचित्र (Photographs) संलग्न हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की बढ़ती शहरी जनसंख्या, मास्टर प्लान आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं शहरों में आधारभूत सुविधाओं की बढती आवश्यकता को देखते हुए सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त क्षेत्र में मार्च, 2027 तक रोक लगाई गई है। किंतु उक्त क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण कार्यों से राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना सुनियोजित शहरी विकास का कार्य प्रभावित होने की संभावना है।

3. अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुरोध है कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

09.07.26

(प्रभात भूषण)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

HS Letter